रजिस्टर्ड

संख्या-II/ 21022/ 63/107 / 85- एफ०सी०आर०ए०-III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली- 110003, दिनांक 12 MAR 1985

सेवा में, राजा राम सिंह.

मुख्य कार्यकर्ता,

समग्र स्वराज्य संघ

बिनोबा आश्रम. पो० इस्लामपुर. जि० नालन्दा. बिहार

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976- रजिस्ट्रेशन नम्बर का आवंटन ।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 690/84-85 के आवेदन संख्या 18/92/97-84 ई० के संदर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6(1)(क) के अनुसार आपके एसोसियेशन को उस समय तक निम्नलिखित रजिस्ट्रेशन नम्बर आवंटित किया गया है ।

0	3	1	3	4	0	0	0	2

जब तक केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश करती है कि एसोसियेशन, ऐसी अधिसूचना के जारी हो जाने के बाद, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा या एसोसियेशन के नाम, इसके पते, इसके रजिस्ट्रेशन और इसके स्वरूप, इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों आदि के बारे में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में इसका नये रूप में रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है । आपको विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों को पूरी तरह अनुपालन करने की भी सलाह दी जाती है ।

भवदीय,

(के०ई०बी०रंगराजन)

कृते उप सचिव, भारत सरकार

सं0 11/ 21022/63/107 / 85- एफ0सी0आर0ए0-111, तारीख:

प्रतिलिपि मैनेजर/एजेन्ट - पंजाब नेशनल बैंक.की शाखा. नालन्दा ग्रामीण बैं परबलपुर. जि0 नालन्दा. बिहार

उपर्युक्त एसोसिएशन ने यह सूचित किया है कि उसके द्वारा प्राप्त हुए विदेशी अभिदानों के लिए आपके बैंक की शाखा में उसका एक अलग बैंक एकाउन्ट नं0 308 है । कृपया इसकी पुष्टि की जाए । जब कभी उपर्युक्त बैंक एकाउन्ट बंद किया जाए अथवा एसोसिएशन को विदेशी अभिदाय के लिए कोई दूसरा एकाउन्ट नंबर आवंटित किया जाए तो कृपया इस मंत्रालय को इसकी सूचना दी जाए ।

2. एफ0सी0आर0ए0-11 अनुभाग ।

3. 2 अतिरिक्त प्रतिलिपियां ।

के0ई0वी0रंगराजन॥

कृते उप सचिव, भारत सरकार

/ मुद्गल /